

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर का कार्यालय
अरण्य विहार, शेरपुर, पीओ-एमआईसी वेला, मुजफ्फरपुर
ई-मेल: cfmuzaaffarpur@gmail.com

पत्रांक: 674
प्रेषक,

मुजफ्फरपुर, दिनांक: 18-04-2022 ई०।

सुधीर कुमार कर्ण, भा०व०से०,
वन संरक्षक,
मुजफ्फरपुर अंचल,
मुजफ्फरपुर।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी,
(वन संरक्षण) बिहार, पटना।

विषय:-

श्री सुधीर कुमार द्वारा दरभंगा जिलान्तर्गत ननौरा मौजा के खाता संख्या-358, 362, 181, 407, खेसरा संख्या-364, 365, 370, 373 थाना संख्या-357, थाना-केवटी, अंचल-कवटी में दरभंगा-जयनगर एन०एच०-105 (पु०) 527 (नया) पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत 0.0450 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना (कैम्पा एवं वन संरक्षक, संभाग) का पत्रांक-FC/12/2022-93 दिनांक 08.02.2022

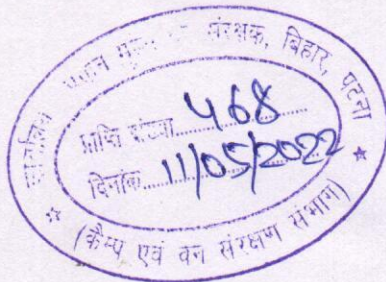
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के सदर्थ में सूचित करना है कि श्री सुधीर कुमार द्वारा दरभंगा जिलान्तर्गत ननौरा मौजा के खाता संख्या-358, 362, 181, 407, खेसरा संख्या-364, 365, 370, 373 थाना संख्या-357, थाना-केवटी, अंचल-कवटी में दरभंगा-जयनगर एन०एच०-105 (पु०) 527 (नया) पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत 0.0450 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक 655 दिनांक 31.03.2022 के द्वारा इस कार्यालय में समर्पित किया है।

वन प्रमंडल पदाधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव एवं भाग-II की टिप्पणी के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपना मंतव्य भाग-III में दिया गया है।

अतः प्राप्त प्रस्ताव चार प्रतियों के साथ संलग्न कर भवदीय सेवा में अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु: यथोक्त।



विश्वासभाजन

वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल,
मुजफ्फरपुर।